न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर मेदिनीनगर।

नामांतरण अपील वाद संख्या – XV - 01/2020–21

नर्वदेश्वर सिंह वगैरह – प्रथम पक्ष

बनाम

रामजन्म पाण्डेय – द्वितीय पक्ष

आदेश

28/11/2019 यह नामांतरण अपील वाद आवेदक नर्वदेश्वर सिंह पिता स्व0 सुधेश्वर प्रसाद सिंह ग्राम भलमंडा थाना – लेस्लीगंज जिला पलामू एवं दो अन्य के द्वारा अंचल अधिकारी लेस्लीगंज द्वारा नामांतरण वाद संख्या 311/08–09 में दिनांक 11.06.2008 के पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है ।

वाद का विषय वस्तु ग्राम भलमंडा से संबंधित है आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक के पिता एवं अन्य हिस्सेदारों के द्वारा उक्त जमीन को बंधक रख कर ऋण लिया गया था तथा शर्त के मुताबिक पैसा वापस भर देने पर आवेदक को द्वितीय पक्ष द्वारा हस्तानांतरित कर देना था ऐसा न कर के इस भूमि का नामांतरण अपने पक्ष मे करा लिया गया है जो कि विधिसम्मत नही है । जबकी समय समय पर आवेदक द्वारा ऋण की राशि भी वापस किया जा चुका है तथा प्रश्नगत भूमि पर आज भी आवेदक गण का दखल कब्जा बरकरार है ।

उन्होने उक्त नामांतरण को रद्द करने का अनुरोध किया है । विद्वान अधिवक्ता को सुना वाद अंगीकृत किया गया व अंचल अधिकारी लेस्लीगंज से निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गयी। उनके द्वारा बतलाया गया कि अभिलेख अभी प्राप्त नही हो रहा है ऐसी स्थिती में मांग पंजी –2 एवं नामांतरण पंजी के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने को अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया एवं विपक्षी को सुचना निर्गत किया गया वे अपना पक्ष प्रस्तुत करें ।

विपक्षी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत किया एवं लिखित बहस भी समर्पित किया है ।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उन्होने विक्रय पत्र संख्या 5087 एवं 5088 दिनांक – 03.06.2006 द्वारा प्रश्नगत भूमि को खरीदा है अतः अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश उचित है । इस अपील को रद्व होना चाहिए क्योकि यह काल बाधित है जिसके लिए आवेदक द्वारा कोई आवेदन नही दिया गया है ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित कागजातों के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक गण के पिता द्वारा प्रश्नगत भूमि को बंधक रखकर कुछ राशि श्रृण के रूप में द्वितीय पक्ष से लिया गया था तथा शर्त के अनुसार उक्त श्रृण वापसी पर भूमि को आवेदक गण के पक्ष मे हस्तानान्तरीत कर देना था जो नही किया गया जबकि आवेदक गण के द्वारा समय समय पर ऋण की वापसी भी की गयी है । एवं समय बित जाने पर द्वितीय पक्ष द्वारा इसका नामांतरण अपने पक्ष में करा लिया गया ।उपरोक्त तथ्यों के विवेचन से स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष द्वारा शर्त के अनुसार कार्य न करके नामांतरण कराया गया है तथा प्रश्नगत भूमि पर आवेदक गण का ही कब्जा आजतक है जबकी नामांतरण के लिए प्रश्नगत भूमि पर शांति पूर्ण दखल कब्जा को होना भी आवश्यक है ।

अतः आवेदक का आवेदन स्वीकृत किया जाता है । तथा नामान्तरण वाद संख्या 311/08–09 को खारिज किया जाता है । इस नामान्तरण मे जो रकबा सन्नहित है, उसे पूर्व की भांति आवेदक के खाता में रखा जाए। विपक्षी चाहे तो अपना स्वत्व के निर्धारण हेतु व्यवहार न्यायालय में जा सकते है।

(हस्ताक्षर) 16/12/2020

भूमि'सुधार उपसमाहर्ता
सदर मेदिनीनगर

ज्ञापांक 395 / रा० दिनांक 16/12/20

प्रतिलिपि - अंचल अधिकारी लेस्लीगंज को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश का अनुपालन कर अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(हस्ताक्षर)